

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 231-2022/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, DECEMBER 31, 2022 (PAUSA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2022

संख्या 5/29/2022—2एच०सी०.—हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सोनीपत के राजस्व जिले की सीमाओं तथा अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत के नाम से ज्ञात पुलिस आयुक्तालय का कार्यालय स्थापित करते हैं तथा अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, को पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं, जो उक्त पुलिस आयुक्तालय में पुलिस बल का मुखिया होगा;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि सोनीपत का पुलिस आयुक्तालय पुलिस बल के प्रशासन और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए पुलिस रेंज होगा;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत निम्नलिखित पुलिस जिलों में विभाजित किया जाएगा, जिसका मुखिया पुलिस अधीक्षक की पदवी में पुलिस उपायुक्त होगा, अर्थात्:—

क्रम संख्या	पुलिस जिला	क्षेत्र / अधिकारिता
1.	पुलिस जिला, पूर्व	1. पुलिस थाना — गन्नौर
		2. पुलिस थाना – बरही
		3. पुलिस थाना — मुरथल
		4. पुलिस थाना – राई
		5. पुलिस थाना – बहालगढ़
		6. पुलिस थाना — कुंडली
2.	पुलिस जिला, पश्चिम	1. पुलिस थाना – शहर सोनीपत
		2. पुलिस थाना – सदर सोनीपत
		3. पुलिस थाना – सिविल लाईन सोनीपत
		4. पुलिस थाना — सैक्टर—27 सोनीपत
		5. पुलिस थाना – खरखौदा

3.	पुलिस जिला, गोहाना	1.	पुलिस थाना – मोहाना
		2.	पुलिस थाना – शहर गोहाना
		3.	पुलिस थाना – सदर गोहाना
		4.	पुलिस थाना – बरोदा

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत के अधिकारिता के भीतर पुलिस आयुक्त को उसके अधीनस्थ अधिकारियों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 22 तथा 23 के प्रयोजन के लिए और अनुसूची में वर्णित अधिनियमों हेत् जिला मेजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करते हैं;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ii) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश करते हैं कि पुलिस आयुक्त द्वारा प्रयोज्य किन्हीं शक्तियों या किये जाने वाले कृत्यों तथा कर्तव्यों या निर्वहन की जाने वाली जिम्मेवारियों या प्राधिकार का प्रयोग या निर्वहन पृलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन होगा;

आगे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पुलिस आयुक्त, सोनीपत का पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अध्याय VIII की धारा 107 से 122 और 124 के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में तथा अध्याय X की धारा 133 तथा 144 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करते हैं;

आगे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों (पुलिस सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो) को उक्त संहिता की धारा 107 से 122, 124, 133 और 144 के प्रयोजनों के लिए कार्यकारी मिजस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं और आगे घोषणा करते हैं कि पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ प्रत्येक ऐसा अधिकारी पुलिस आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण के अधीन कार्यकारी मिजस्ट्रेट की शिक्तयों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा;

आगे, शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उप पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) को उक्त अधिनियम के अधीन पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत की अधिकारिता के भीतर जिला मिजस्ट्रेट की शिक्तयों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करते हैं:

आगे, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सभी पुलिस उपायुक्तों को उनकी अधिकारिता के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं;

पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत दिनांक 1 जनवरी, 2023 से कार्यशील होगा।

अनुसूची

- 1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 6)
- 2. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 104)
- 3. राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण, अधिनियम 1911 (1911 का केन्द्रीय अधिनियम 10)
- 4. पुलिस (दोह-उदीपन) अधिनियम, 1922 (1922 का केन्द्रीय अधिनियम 22)
- 5. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का केन्द्रीय अधिनियम 37)
- 6. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का केन्द्रीय अधिनियम 31)
- 7. भारतीय दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 14)
- 8. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19)
- 9. सराय अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 22)
- 10. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम 20)
- 11. नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (1876 का केन्द्रीय अधिनियम 19)

टी०वी०एस०एन० प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 31st December, 2022

No. 5/29/2022-2HC.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby establishes the office of Commissionerate of Police for the area falling within the limits and the jurisdiction of the revenue district of Sonipat, known as the Commissionerate of Police of Sonipat and appoints an officer not below the rank of the Inspector General of Police as the Commissioner of Police, who shall be the head of police force in the said Commissionerate of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the said Act, the Governor of Haryana hereby declares that for the purpose of administration and supervision of the police force, the Commissionerate of Police of Sonipat shall be a Police Range;

Further, in exercise of the powers conferred by Section 10 of the said Act, the Governor of Haryana hereby declares that the Commissionerate of Police of Sonipat shall be divided into the following police districts, to be headed by a Deputy Commissioner of Police in the rank of Superintendent of Police, namely;

Sr. No.	Police District	Area/Jurisdiction
1.	Police District, East	1. Police Station - Gannaur
		2. Police Station - Barhi
		3. Police Station - Murthal
		4. Police Station - Rai
		5. Police Station - Bahalgarh
		6. Police Station - Kundli
2.	Police District, West	Police Station - City Sonipat
		2. Police Station - Sadar Sonipat
		3. Police Station - Civil Line, Sonipat
		4. Police Station – Sector- 27, Sonipat
		5. Police Station - Kharkhoda
3.	Police District, Gohana	Police Station - Mohana
		2. Police Station - City Gohana
		3. Police Station - Sadar Gohana
		4. Police Station - Baroda

Further, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 8 of the said Act, the Governor of Haryana hereby empowers the Commissioner of Police to exercise and perform, within the jurisdiction of Police Commissionerate of Sonipat, the powers and duties of a District Magistrate for the purpose of Section 22 and 23 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), in relation to the officers subordinate to him and for the Acts mentioned in the Schedule;

Further, in exercise of the powers conferred by the first proviso to clause (ii) of Section 8 of the said Act, the Governor of Haryana hereby directs that any of the powers, functions and duties, responsibilities or authority, exercisable or to be performed or discharged by the Commissioner of Police shall be exercisable or to be performed or discharged by the Commissioner of Police shall be exercised or discharged subject to the control of the Director General of Police:

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Governor of Haryana hereby appoints Commissioner of Police, Sonipat as Executive Magistrate to exercise the powers and discharge duties under Sections 107 to 122 and 124 of Chapter VIII and of a District Magistrate under Sections 133 and 144 of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), in the Commissionerate of Police of Sonipat;

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Governor of Haryana hereby appoints the officers subordinate to the Commissioner of Police (not below the rank of Assistant Commissioner of Police) as Executive Magistrates for the purposes of Sections107 to 122,124, 133 and 144 of the said Code and further declares that every such officer

subordinate to the Commissioner of Police shall, exercise and perform powers and duties of an Executive Magistrate, subject to the general control of the Commissioner of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) of Section 2 of the Arms Act, 1959 (Central Act 54 of 1959), the Governor of Haryana hereby appoints the Deputy Commissioner of Police (Head Quarter) to exercise the powers and perform the functions and duties of the District Magistrate under the said Act, in the Commissionerate of Police of Sonipat;

Further, in exercise of the powers conferred by Section 83 of the Haryana Police Act, 2007, (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby authorizes all Deputy Commissioners of Police to exercise powers and perform functions and duties of the District Superintendent of Police within their respective jurisdiction.

The Police Commissionerate of Sonipat shall start functioning with effect from January 1, 2023.

SCHEDULE

- 1. The Explosive Substances Act, 1908 (Central Act 6 of 1908)
- 2. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (Central Act 104 of 1956)
- 3. The Prevention of Seditious Meetings Act, 1911(Central Act 10 of 1911)
- 4. The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (Central Act 22 of 1922)
- 5. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Central Act 37 of 1967)
- 6. The Foreigners Act, 1946 (Central Act 31 of 1946)
- 7. The Indian Criminal Law Amendment Act, 1908 (Central Act 14 of 1908)
- 8. The Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923)
- 9. The Sarai Act, 1867 (Central Act 22 of 1867)
- 10. The Probation of Offenders Act, 1958 (Central Act 20 of 1958)
- 11. The Dramatic Performance Act, 1876 (Central Act 19 of 1876)

T.V.S.N. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Home Department.

10094—C.S.—H.G.P., Pkl.